

थाना उझानी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान अवैध मादक पदार्थ 05 ग्राम हैरोईन समेत एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

डॉ0 ओपी सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ/शस्त्र की क्रय/विक्रय/तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 17.09.2023 को \*थाना उझानी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान गौशाला रोड़ चौराहे से एक नफर अभियुक्त श्रीपाल पुत्र छोटेलाल कश्यप निवासी मोहल्ला नझियाई कस्बा व थाना उझानी जनपद बदायूँ को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 05 ग्राम हैरोईन बरामद हुआ । इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 500/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया । नियमानुसार अभियुक्त को माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया गया।

बरामदगी-

एक पन्नी में 05 ग्राम हैरोईन

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 156/21 धारा 380 भादवि0 थाना उझानी जनपद बदायूँ
2. मु0अ0स0 223/2019 धारा 8/18 NDPS ACT थाना उझानी जनपद बदायूँ
3. मु0अ0स0 228/2020 धारा 60 60 Ex Act थाना उझानी जनपद बदायूँ
4. मु0अ0स0 241/2021 धारा 380/411/457 IPC थाना उझानी जनपद बदायूँ
5. मु0अ0स0 519/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उझानी जनपद बदायूँ
6. मु0अ0स0 186/2022 धारा 60 Ex Act थाना उझानी जनपद बदायूँ
7. मु0अ0स0 372/2022 धारा 379 भादवि0 थाना उझानी जनपद बदायूँ
8. मु0अ0स0 472/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उझानी जनपद बदायूँ
9. मु0अ0स0 500/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना उझानी, बदायूँ ।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूँ।